

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ.4(ई) (1) (6) / अलेसे-गा/

दिनांक : - २३.५.२०१२

आदेश संख्या ६६ / २०१३-१४

राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार सीधो भर्ती संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंशानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद से दो वर्ष की कालावधि के लिए ₹० 10000/- प्रतिमाह के स्थाई पारिश्रमिक पर 2 वर्ष लंबा परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्ण नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 (2) वित्त/नियम/०६ दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपरिथित देने की संगत तिथि से एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे निम्नांकित तालिका में उनके सामने अंकित विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण करें :-

क्र.सं.	मेरिट क्रमांक	नाम / पिता का नाम सर्वश्री	श्रेणी	जन्मतिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	49	आशीष कुमार त्रिवेदी पुत्र श्री चेतन प्रकाश त्रिवेदी	सामान्य	16.09.1985	कोषालय, छूंगरपुर	रिक्त पद पर
2.	63	मनीष पालीवाल पुत्र श्री राधावल्लभ पालीवाल	सामान्य	28.01.1982	पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़	रिक्त पद पर
3.	64	विष्णु दत्त पाण्डेय पुत्र श्री नारायण दत्त पाण्डेय	सामान्य	29.11.1972	कोषालय, उदयपुर	रिक्त पद पर
4.	76	प्रभुराम मेधवाल पुत्र श्री पुरखराम मेधवाल	एस.सी.	09.04.1985	कोषालय, बांसवाड़ा	रिक्त पद पर
5.	77	महेन्द्र सिंह मीणा पुत्र श्री सोगराज मीणा	एस.टी.	06.08.1987	कोषालय, झालावाड़	रिक्त पद पर
6.	84	देवेन्द्र कुमार मेधवाल पुत्र श्री शंकर लाल मेधवाल	एस.सी.	08.11.1973	कोषालय, उदयपुर	रिक्त पद पर
7.	88	प्रभुदयाल मीणा पुत्र श्री मन्ना लाल मीणा	एस.टी.	11.12.1979	उपकोषालय, अन्ता (बांसा)	रिक्त पद पर

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है :-

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा रवीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित रोवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित नियमों एवं शर्तों के अध्यधीन है।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (सीवी) जयपुर रो अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण-पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वारथ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वारथ्य के संबंध में संतोषजनक स्वारथ्य प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपरिथित के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपरिथित स्वीकार्य नहीं होगी।
5. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा को अपशि स्वयंवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार रो अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें उक्त रोवा से मुक्त किया जा सकेगा।
6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं हैं तो सरकार इन्हें रोवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण/अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से रथायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त रथायी रिक्त पद उपलब्ध होंगे
- इनको राजस्थान अधीनरथ लेखा सेवा में रथायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी ।
- उक्त नियुक्तियों गान्धीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी ।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनरथ लेखा सेवा से पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा ।
उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में नवनियुक्त विभाग/कार्यालय में आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस में यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्ता करने की कार्यवाही की जावेगी ।
इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं वैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें ।

निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे-111/ ६५२८ - ६५४५ दिनांक :- २३.५.२०१३
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
- शासन सचिव, कार्मिक (क-३) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशारान राजस्थान, राजस्थान, जयपुर ।
- विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष..... को प्रेषित कर लेख है कि
वे संबंधित कार्मिक की कार्यग्रहण रिपोर्ट निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावे ।
- श्री.....

- विभाग/कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना प्रेषित करावें ।
- निजी सहायक, निदेशक ।
- कम्प्यूटर शाखा (वैबसाइट अपलोड करने हेतु) ।
- रक्षित/निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-ग)